

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्हीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

ब्रह्मांक 2768

कार्यालय तटपरिवार नीरज (राज)

दिनांक 8.7.2010

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा दावे के सुधार/सुधारी/धर्मपत्नी श्री नाम स्वीकृत गांव/ग्राम जिला/दिल्ली के राजस्थान जाति/समुदाय रोडा का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951

✓ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1971; और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।

- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा दावे के सुधार/सुधारी/धर्मपत्नी श्री गांव/ग्राम जिला/दिल्ली के राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यता रहता है।

साक्षी—
दिनांक—

१० तहसीलदार
(मोहर)

- कृपया उन शब्दों को काट दीजिए जो सामूहिक होते।

विशेष— यहां पर प्रसुक 'सामान्यता रहता है', का अर्थ वही होगा जो अन्तिम अंक से 20 में है।

द्वारा संचालित